भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *8
01.12.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण का क्षरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं

***8. श्री मनीश तिवारी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में मलजल अत्यधिक मात्रा में लगातार एन-चोई नामक छोटी मौसमी नदी में जाकर गिर रहा है जिससे पर्यावरण का गंभीर रूप से क्षरण हो रहा है और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अथवा चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) ने चंडीगढ़ नगर निगम को एन-चोई सहित चंडीगढ़ की छोटी मौसमी नदियों में लगातार प्रदूषण और कोलीफार्म के उच्च स्तर के संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) क्या सिविक प्राधिकारियों ने बार-बार होने वाले संदूषण को रोकने के लिए कोई दीर्घकालिक मलजल शोधन और जल निकासी प्रबंधन योजना कार्यान्वित की है;

(घ) क्या एन-चोई के प्राकृतिक जलमार्ग को पुनरुज्जीवित करने अथवा पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(ङ) क्या बार-बार होने वाले पर्यावरण संबंधी उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय की गई है जिसके परिणामस्वरूप अशोधित मलजल प्राकृतिक जलधाराओं में विसर्जित हो जाता है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

पर्यावरण का क्षरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं के संबंध में दिनांक 01/12/2025 को माननीय संसद सदस्य श्री मनीष तिवारी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 8 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड.)
एन- चोई चंडीगढ़ में सेक्टर 2 (पंजाब सचिवालय के पास) से निकलती है तथा अलग-अलग सेक्टरों से गुज़रती है और चंडीगढ़ में लगभग 12.5 किलोमीटर बहने के बाद सेक्टर 53 (गार्डन ऑफ़ स्प्रिंग बाउंड्री) से निकलकर पंजाब के मोहाली ज़िले में प्रवेश करती है और अंत में पंजाब के पटियाला ज़िले के राजपुरा में घग्गर नदी से मिल जाती है।

चंडीगढ़ में सीवेज का प्रबंधन चंडीगढ़ नगर निगम (एमसीसी) द्वारा किया जाता है।

चंडीगढ़ में एन- चोई में प्रदूषण के संबंध में, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा मूल आवेदन संख्या 2023 के 797 को स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था। इस मामले में माननीय एनजीटी के 18.01.2024 के निदेशों के आधार पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 29 और 31 जनवरी, 2024 को एन- चोई नाले का निरीक्षण किया किया गया और पाया गया कि चंडीगढ़ सेक्टर 36 में नाले को क्रॉस करने वाली सीवेज पाइप लाइन का अन्तिम छोर, जो पहले टूटा हुआ था और एन चोई नाले में सीवेज का पानी बह रहा था, उसका मरम्मत कर दिया गया है। सेक्टर 36 हिबिस्कस गार्डन (सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास) में नाले के किनारे पर ठोस और सी एण्ड डी अपशिष्ट का छोटा ढेर डाल दिया गया था। सीपीसीबी की निरीक्षण रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि:

(i) चंडीगढ़ नगर निगम (एमसीसी) यह सुनिश्चित करेगा कि एन -चोई की ओर जाने वाले ताज़े पानी के सभी रिसाव /अधिप्रवाह को टैप/प्लग से अनिवार्यतः बंद कर दिया जाएगा ।

(ii) एमसीसी सर्वे करेगा और ठोस कचरा फेंके जाने की जगह की पहचान करेगा तथा ठोस अपशिष्ट को नाले में जाने से रोकने के लिए एन - चोई नाले की सड़क साइट पर 'नेट की जाली ' लगाएगा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 17/5/2024 को उक्त मूल आवेदन संख्या 2023 का 797 का निपटान किया और चंडीगढ़ में एन - चोई के संबंध में यह निदेश दिया किया :

"हमारा मानना है कि जहां तक एन- चोई के चंडीगढ़ हिस्से का सवाल है, नगर निगम, चंडीगढ़ द्वारा उसकी नियमित और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एन-चोई में किसी सीवेज का प्रवाह नहीं हो रहा है।"

चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (सीपीसीसी) ने सूचित किया है कि पिछले एक साल में, कभी-कभी एन चोई में गंदे पानी को प्रवाहित करने की खबर मिली थी। सीपीसीसी ने एमसीसी को निदेश दिया था कि

वह उपचारात्मक कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एन-चोई में कोई अपशिष्ट नहीं फेंक जा रहा है।

सीपीसीसी ने चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरी विभाग को यह निदेश भी दिया कि वे उन पुलियों पर लोहे की जाली (आयरन जालियां) लगाएं जहां एन-चोई का बहाव सड़कों के पास है, ताकि लोग इन जगहों से ठोस अपशिष्ट न फेंक पाएं।

सीपीसीसी ने यह भी सूचित किया है कि पिछले 3 सालों में, एन- चोई के पुनर्जीवन या पुनरुत्थान के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं दिया गया है।

सीपीसीसी ने बताया कि चंडीगढ़ 08 टर्मिनल एसटीपी से जुड़ा है, जिनकी संस्थापित क्षमता 253.5 एमएलडी है और अभी लगभग 232 का गंदा पानी निकल रहा है। संस्थापित क्षमता में से, 230 एमएलडी का उपयोग हो रहा है। 08 एसटीपी में से, 02 एसटीपी की ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) सीपीसीबी सर्वर से जुड़े हैं, जबकि 06 एसटीपी के ओसीईएमएस सीपीसीबी को डेटा नहीं भेज रहे हैं। सीपीसीसी ने को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) के तहत आयुक्त, एमसीसी, चंडीगढ़ को 30.10.2025 सीपीसीबी के साथ ओसीईएमएस की सम्पर्कता सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किए हैं।

***